राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 10(1)कार्मिक/क–2/2022 जयपुर, दिनांक : 26/07/2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– बजट घोषणा वर्ष 2022–23 "आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी" के संबंध में।

राज्य के विविध सेवा नियमों में विद्यमान पदो को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को भरे जाने हेतु सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91, दिनांक 04.06.2008 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 4.2 के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में एक बार ही सम्पादित की जाती है।

वर्ष में एक बार डीपीसी होने के उपरांत विभिन्न कारणों से रिक्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1. राजसेवक की पदच्युति (Dismissal from service),
2. सेवा से पृथक्कीकरण (Removal from service),
3. अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory retirement),
4. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary retirentment)
5. निधन (Death),
6. पदोन्नति स्वीकार नहीं करने से (Forgo),
7. नवीन पदों का सृजन,
8. अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण के कारण पदोन्नति अनुशंषा को बन्द लिफाफे में रखे गये प्रकरणों में होने वाले निर्णय में राजसेवक को दण्डित किये जाने।
9. अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में सजा प्राप्त एवं पदोन्नति से वंचित राजसेवक का दण्डादेश अपील में अपास्त हो जाने।
10. सेवाअभिलेखों के अभाव में डेफर रहे प्रकरणों में सेवाभिलेख उसी वर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ प्राप्त होने से।

परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5.2 एवं 7.5.3 में विद्यमान प्रावधान के अनुसार किसी वर्ष की डीपीसी आयोजित होने के पश्चात उपरोक्त में से किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष की डीपीसी द्वारा भरा जाता हैं जिससे वर्षभर उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण राजकार्य प्रभावित होता है।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि सभी सेवाओं में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में यदि नियमित डीपीसी 30 सितम्बर से पूर्व आयोजित हो जाती है एवं डीपीसी आयोजित होने के पश्चात उक्त पद संवर्ग के 15 प्रतिशत से अधिक पद 31 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंषाओं को रिव्यू करते हुए उक्त पदों को उसी वर्ष में भरा जा सकेगा, परंतु ऐसी रिक्तियों के कारण रिव्यू डीपीसी 31 मार्च से पूर्व आयोजित किया

46/2022

जाना आवश्यक है। 31 मार्च तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को आगामी वर्ष की नियमित डीपीसी द्वारा ही भरा जा सकेगा।

Gera 26/7/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

26/7/2022

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

46/2022